नगर परिषद बद्दी, जिला सोलन, हि0प्र0 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1—4—2012 से 31—3—2015

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1—376/81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद बद्दी में नियन्त्रक/आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :—

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री मदन लाल	1.4.2012 से 31.3.2015

कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री के0एल0 ठाकुर	1.4.2012 से 2.4.2012
2	श्री विकास शुक्ला	13.4.2012 से 22.4.2012
3	श्री सुधीर शर्मा	23.4.2012 से 31.3.2015

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रमांक	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	सावधि जमा में निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	5.1	27.20
2	बैंक द्वारा स्त्रोत पर आयकर की काटी गई राशि का रिफण्ड प्राप्त न करना	5.2	3.14
3	अनुदान राशि का उपयोग/व्यय हेतु शेष पाया जाना	6	2532.74
4	पैन्शन एवं ग्रच्युटी अंशदान की राशि को सम्बन्धित निधि में कम जमा करना	7.1	16.52
5	अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की हानि	7.3	4.42

6	बैंक में राशि देरी से जमा करवाने पर अस्थाई दुर्विनियोजन करना	16	2.37
7	रख–रखाव प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	17	67.28
8	दुकानों के किराये की वसूली योग्य शेष राशि	18	16.68
9	दुकाने खाली रहने पर नगर परिषद को हानि	18.1	3.10
10	आयकर का अधिक भुगतान	19.1	0.32
11	आयकर, लेबर सैस, शिक्षा सैस व सेल टैक्स की वसूली गई राशियों का सम्बन्धित विभागों को भुगतान न करना	19.2	7.59
12	संविदाकारों से लेबर सैस की कम वसूली करना	19.3	0.79
13	संविदाकारों से आयकर की कम वसूली करना	20	3.23
14	स्टाफ अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	22	1.97
15	Transportation of Garbage के कार्य में अधिक भुगतान	24	0.62
16	सफाई के कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	25	0.62
17	सफाई के कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	26	0.42
18	सेल टैक्स की कम वसूली	27	0.49

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"A"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद द्वारा लगभग 235 लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद बद्दी के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) एवं श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 17.2.2016 से 4.5.2016 के दौरान नगर परिषद बद्दी में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 10/2012, 7/2013 एवं 4/2014 तथा व्यय की विस्तृत

जाँच हेतु माह 10/2012, 3/2014 एवं 10/2014 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचना/सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद बद्दी के अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण करने हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹93,000 बनता है। उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 22, दिनांक 3.5.2016 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद बद्दी की अवधि 4/2012 से 3/2015 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी :–

वर्ष	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2012–13	स्वस्त्रोत	3,19,83,844	47,56,763	24,06,775	3,91,47,382	30,13,157	3,61,34,225
	अनुदान	1,84,42,729	2,92,81,983	–	4,77,24,712	3,04,98,724	1,72,25,988
	कुल	**5,04,26,573**	**3,40,38,746**	**24,06,775**	**8,68,72,094**	**3,35,11,881**	**5,33,60,213**
2013–14	स्वस्त्रोत	3,61,34,225	1,04,05,372	17,36,692	4,82,76,289	40,64,129	4,42,12,160
	अनुदान	1,72,25,988	1,87,02,077	–	3,59,28,065	2,54,99,521	1,04,28,544
	कुल	**5,33,60,213**	**2,91,07,449**	**17,36,692**	**8,42,04,354**	**2,95,63,650**	**5,46,40,704**
2014–15	स्वस्त्रोत	4,42,12,160	71,40,703	77,76,755	5,91,29,618	31,76,736	5,59,52,882
	अनुदान	1,04,28,544	27,70,84,052	–	28,75,12,596	3,42,38,825	25,32,73,771
	कुल	**5,46,40,704**	**28,42,24,755**	**77,76,755**	**34,66,42,214**	**3,74,15,561**	**30,92,26,653**

दिनांक 31.3.2015 को परिषद के स्वःस्त्रोतों की आय का अन्तिम शेष	**55952882**
अनुदान राशि का अन्तिम शेष	**253273771**
रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति का अन्तिम शेष	**309226653**
रोकड़ वही के अनुसार 31.3.2015 को अन्तिम शेष	**309226653**
बैंक पास बुक/विवरणी के अनुसार अन्तिम शेष (पैरा 4.2)	**309423375**
अन्तर की राशि	**196722**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :—

नगर परिषद की रोकड़ बही व बैंक पास बुक विवरणी में पाए गए अन्तर का बैंक समाधान विवरण निम्न प्रकार से था :—

बैंक पास बुक/विवरणी के अनुसार अन्तिम शेष				**30,94,23,375**
माईनस				
चैक जारी किए गए परन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए				
क्र0 सं0	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**राशि**	
1)	81570	18.2.2015	10,967	
2)	348893	17.3.2015	3,612	
3)	84581	20.3.2015	2,143	
4)	348915	26.3.2015	1,80,000	(—) 1,96,722
रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेश				**30,92,26,653**

4.2 बैंक में जमा राशि का विवरण

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंकों में जमा राशि की स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2015 को अन्तशेष
1)	जोगिन्द्रा को0ओ0 बैंक	10234001003204	48,82,760
2)	जोगिन्द्रा को0ओ0 बैंक	10234001003436	74,779
3)	एक्सिस बैंक	366010100170284	16,40,84,164
4)	एक्सिस बैंक	366010100102735	3,735
5)	पी0एन0बी0	00100034650	25,03,277
6)	यूको बैंक	30100001977	37,26,377
7)	आई0सी0आई0सी0आई	49901000353	3,52,17,363
8)	आई0डी0बी0आई	165104000049319	3,17,54,400
9)	एच0डी0एफ0सी0	06502560001616	15,264
10)	सावधि निवेश		6,71,61,256
		31.3.2015 तक कुल जमा राशि	**30,94,23,375**

5 सावधि निवेश

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर दिनांक 31.3.2015 को ₹6,71,61,256 सावधि जमा में निवेशित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से है :—

क्र0 सं0	बैंक का नाम	सावधि जमा संख्या	निवेशित राशि	निवेश की तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि
1)	पंजाब नैशनल बैंक	413100PR00006005	48,75,366	21.7.12	9%	21.7.15	61,34,607
2)	पंजाब नैशनल बैंक	272100PR00015037	27,85,890	1.11.12	9%	1.11.15	36,38,511
3)	एच0डी0एफ0सी	5030008173741	25,00,000	13.7.13	8.75%	14.7.15	24,73,215
4)	आई0डी0बी0आई	0165106000011459	95,00,000	1.7.14	9.30%	13.11.15	1,07,73,695
5)	आई0डी0बी0आई	0165106000011468	95,00,000	2.7.14	9.30%	14.11.15	1,07,73,696
6)	आई0डी0बी0आई	016510600001486	95,00,000	3.7.14	9.30%	15.11.15	1,07,73,696
7)	आई0डी0बी0आई	0165106000011495	95,00,000	4.7.14	9.30%	16.11.15	1,07,73,695
8)	आई0डी0बी0आई	016510600001547	95,00,000	5.7.14	9.30%	17.11.15	1,07,73,696
9)	कैनरा	3436401002463/1	45,00,000	1.7.14	9.05%	1.7.15	49,21,282
10)	कैनरा	2436401002525/1	50,00,000	26.8.14	9.05%	26.8.15	54,68,089
			6,71,61,256				

सावधि जमा में निवेशित उपरोक्त राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाया जाना एवं पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 3 में वर्णित निवेशित राशि की परिपक्वता राशि सही प्रतीत नहीं होती है जिसको बैंक से सम्पर्क करके सही करवाया जाए।

5.1 सावधि जमा में निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज की ₹27.20 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करना

उपरोक्त पैरा संख्याः 5 में दिए गए विवरणानुसार पी0एन0बी0 के सावधि जमा खाता संख्या 413100PR00006005 में ₹48,75,366 तथा सावधि जमा खाता संख्याः 272100PR0015037 ₹27,85,890 क्रमशः दिनांक 21.7.2012 व 1.11.2012 को निवेशित की गई थी तथा इन राशियों को बैंक द्वारा प्रतिवर्ष पुनः निवेशित किया गया था, जिसके फलस्वरूप **परिशिष्ट–''ख''** पर दिए गए विवरणानुसार माह 11/2015 तक इन राशियों पर ₹27,19,723 का बयाज प्राप्त करके इसे पुनः निवेशित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त प्राप्त ब्याज की राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करने बारे औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त ब्याज की प्राप्त/पुनः निवेशित राशि का रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 बैंक द्वारा सावधि जमा पर स्त्रोत पर काटी गई आयकर की ₹3,14,011 का आयकर विभाग से रिफण्ड न लेने बारे

बैंक द्वारा **परिशिष्ट–''ख''** पर दिए गए विवरणानुसार ₹3,14,011 स्त्रोत पर आयकर की वसूली के रूप में काटी गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्त्रोत पर काटी गई उपरोक्त राशि के आयकर विभाग से रिफण्ड हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः ₹3,14,011 को आयकर के रूप में बैंक द्वारा कटौती किए जाने के पश्चात आयकर विभाग से

आवश्यक रिफण्ड लिए जाने हेतु दावा प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आयकर विभाग से उपरोक्त राशि के रिफण्ड हेतु मामला अविलम्ब उठाया जाए।

5.3 सावधि जमा खातों में परिपक्वता पर ₹10,196 से कम निवेशित दर्शाया जाना

साविध जमा संख्याः 143100PR00006005 में निवेशित राशि को परिपक्वता तिथि पर कुल प्राप्त राशि से आयकर की वसूली के बाद बची राशि को वास्तविक राशि से कम राशि के लिए निवेश किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 तक **परिशिष्ट–''ख''** पर दिए गए विवरणानुसार ₹10,196 से उपरोक्त सावधि जमा की राशि कम पुनः निवेशित की गई थी। अतः कम पुनः निवेशित की गई ₹10,196 की वसूली करके सम्बन्धित मामला बैंक के साथ उठाया जाए तथा उपरोक्त राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6 अनुदान की ₹2532.74 लाख का उपयोग/व्यय हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय तथा दिनांक 31.3.2015 को पाए गए अन्तशेष तथा पूर्व की अनुपयुक्त अनुदान की राशियों का विवरण **परिशिष्ट–''ग(i)'', ''ग(ii)''**, व **''ग(iii)''** पर दिया गया है। जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2012–13 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष ₹1,84,42,729 में से ₹1,81,14,729 ही व्यय की गई तथा दिनांक 31.3.2015 ₹3,28,000 व्यय हेतु शेष पाई गई। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि में विभिन्न स्त्रोतों से ₹32,50,68,112 अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से इस अवधि में उपरोक्त ₹1,81,14,729 के अतिरिक्त ₹7,21,22,341 व्यय की गई तथा ₹25,29,45,771 शेष पाई गई। इस प्रकार दिनांक 31.3.2015 तक पूर्व अवधि की ₹3,28,000 तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि की ₹25,29,45,771 अर्थात कुल ₹25,32,73,771 शेष थी। अतः अनुदान की राशियाँ सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व शेष राशियों को नियमानुसार व्यय किए जाने बारे ठोस पग उठाये जाए।

7 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि

पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :–

नगर परिषद बद्दी के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15
प्रारम्भिक शेष	29,93,302	32,63,751	35,64,985
वर्ष के दौरान जमा अंशदान	15,266	0	3,64,128
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	2,55,183	3,01,234	4,20,759

जोड़	**32,63,751**	**35,64,985**	**43,49,872**
वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—
अन्तिम शेष	32,63,751	35,64,985	43,49,872

7.1 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी अंशदान की ₹16.52 लाख को सम्बन्धित निधि में कम जमा करना

अवधि 4/2012 से 3/2015 के दौरान पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि के प्रतिमाह देय अंशदान की राशि को पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि में कम जमा किया गया था। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक पैन्शन एवं ग्रेच्युटी अंशदान की ₹16,51,726 को पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि में कम जमा किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः पैन्शन एवं ग्रेच्युटी अंशदान की देय राशि प्रतिमाह जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त अवधि 4/2012 से 3/2015 तक की देय ₹16,51,726 को शीघ्र पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा किया जाए तथा भविष्य में प्रतिमाह पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में देय राशि को जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी अंशदान की देय राशि	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी अंशदान की जमा राशि	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी अंशदान की कम जमा राशि
1.4.2012 से 31.3.2013	6,77,040	15,266	6,61,774
1.4.2013 से 31.3.2014	6,77,040	—	6,77,040
1.4.2014 से 31.3.2015	6,77,040	3,64,128	3,19,912
जोड	**20,31,120**	**3,79,394**	**16,51,726**

7.2 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से सम्बन्धित रोकड़ बहियां नहीं लिखी गई थी तथा पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से सम्बन्धित राशियां अलग–अलग नहीं रखी गई थी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31.3.2015 तक पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में कुल ₹43,49,872 जमा थी, जिसमें से ₹30,70,498 पैन्शन निधि व ₹12,79,374 ग्रेच्युटी की थी। अतः पैन्शन निधि की रोकड़ बहीयां न लिखने बारे व जमा राशियां को अलग–अलग न रखने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में पैन्शन निधि व ग्रेच्युटी निधि की अलग–अलग रोकड़ बहियां लिखी जानी व अलग–अलग बैंक खाते रखे जाने सुनिश्चित किए जाएं।

7.3 अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण ₹4.42 लाख के रूप में अतिरिक्त ब्याज की हानि

पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति के अनुसार समस्त जमा राशि बैंक बचत खाते में ही रखी गई थी, जबकि उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शेष राशि को अल्पकालिक/दीर्घ कालिक सावधि जमा में

निवेश किया जाना अपेक्षित था जिससे परिषद को 5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से तीन वर्षों के दौरान निम्न विवरणानुसार ब्याज की ₹4,41,992 अधिक अर्जित हो सकती थी, लेकिन पैन्शन एंव ग्रेच्युटी निधि की समस्त राशि को बचत खातों में रखने के फलस्वरूप उपरोक्त ब्याज की राशि की हानि हुई है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 327, दिनांक 25.2.2016 द्वारा उपरोक्त मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाया गया था तथा कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्याः न0प0/बद्दी/ऑडिट/2016, दिनांक 30, अप्रैल 2016 द्वारा आश्वासन दिया था कि पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि में जमा राशि की एफ0डी0आर बना दी जाएगी। अतः इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा राशि	90 प्रतिशत भाग	5 प्रतिशत की दर से ब्याज
1.4.2012	29,93,302	26,93,972	1,34,699
1.4.2013	32,63,751	29,37,376	1,46,869
1.4.2014	35,64,985	32,08,486	1,60,424
		कुल राशि	**4,41,992**

8 पार्किंग फीस की ₹0.50 लाख की कम वसूली

नगर परिषद द्वारा पुराने बस अड्डे के समीप माह जनवरी 2014 में ओटो रिक्शा पार्किंग के लिए ₹16,500 की दर से ओटो रिक्शा यूनियन के लिए पार्किंग स्थान चिन्हित किया गया था। अधियाचना संख्याः 349, दिनांक 30.3.2016 द्वारा नगर परिषद को ओटो रिक्शा आबंटन से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया, परन्तु अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आय रसीदों की जाँच उपरान्त वर्ष 2014–2015 में ओटो–रिक्शा पार्किंग से ₹1,98,000 प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा ₹1,48,500 ही पार्किंग शुल्क के रूप में प्राप्त की गई। इस प्रकार (1,98,00 – 1,48,500 = 49,500) की कम वसूली की गई। अतः बकाया राशि की वसूली उचित माध्यम से करके परिषद निधि में जमा की जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 गृहकर आरोपित न किए जाने बारे

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः ULB-H(C)(9)2/91-II, दिनांक 20.4.1998, ULB-H(C)(9)-1, दिनांक 6.11.1999 तथा UDH(C)(10)-10/97, दिनांक 4.12.1999 में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत परिषद अधिसूचित क्षेत्र में गृहकर आशेपित नहीं किया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस बारे आवश्यक कार्यवाही करने बारे सुझाव दिया गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः पूर्ण मामला नगर परिषद प्रशासन के

उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि भविष्य में इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में ला कर गृहकर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 मदिरा शुल्क

आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रुपया प्रति बोतल की दर से अवधि 4/2008 से 3/2015 तक निम्नलिखित आय प्राप्त की गई :–

क्र0सं0	वर्ष	राशि	जी–8 संख्या	प्राप्ति की तिथि
1	2008–09	99,365	4918	20.6.2011
2	2008–09	10,572	4919	20.6.2011
3	2009–10	3,33,193	5799	14.5.2012 (अंकेक्षण अवधि के बाद प्राप्त की गई राशि)
4	2009–10, 2010–11 व 2011–2012	12,75,033	6587	28.3.2013 (अंकेक्षण अवधि के बाद प्राप्त की गई राशि)
5	2012–13, 2013–14	26,11,996	7084	11.3.2015
6	2014–15	शून्य	–	–

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 349, दिनांक 30.3.2016 द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था, परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में प्राप्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः यह प्रकरण नगर परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

11 बिजली शुल्क बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0डी0(1)–9/94, दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.10.2000 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्त वर्ष 2012–13 में जी–8 शून्य दिनांक 29.7.2013 (रोकड़ बही) के तहत ₹57,30,000 इस सन्दर्भ में प्राप्त की गई थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस राशि हेतु (जी–8) रसीद जारी नहीं की गई है और रोकड़ बही में दिनांक 29.7.2013 को जमा दर्शाई गई है। इस प्रकार वर्षानुसार प्राप्त राशि का विवरण खपत की गई

बिजली से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में प्राप्त आय का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः वांछित अभिलेख/आंकडे सम्बन्धित विभाग से एकत्रित करके आगामी आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किए जाएं। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः–18 में भी यह आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु इस बारे इतने समय बाद भी आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में दिनांक 31.3.2015 तक कितनी राशि वसूल की गई और कितनी राशि वसूली योग्य शेष है, इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह प्रकरण बिजली बोर्ड के प्रशासन से उठाया जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित राशि वसूल करके पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

12 मोबाईल टावरस शुल्क की वसूली न किए जाने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार की पत्र संख्या DIT-DEV-IT-2005, दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क की ₹10,000 प्रति टावर तथा वार्षिक शुल्क ₹5,000 प्रति टावर वसूल करना आपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया नगर परिषद द्वारा वर्ष 2012–13, 2013–14 से स्थापना शुल्क तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई जबकि वर्ष 2014–15 में जी–8 संख्याः 7396, दिनांक 1.7.2014 व जी–8 संख्या 7540, दिनांक 8.12.2014 द्वारा क्रमशः ₹10,000 व ₹10,000 अर्थात कुल ₹20,000 वसूल की गई। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 349, दिनांक 30.3.2016 द्वारा नगर परिषद को परिषद क्षेत्र में लगाये गए (स्थापित) टाबरों की सूचि व प्राप्त की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाएं।

13 तहबजारी शुल्क की वसूली न करना

नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 66(1)(1) के अन्तर्गत नगर परिषद क्षेत्र की सड़कों, गलियों एवं चौराहों इत्यादि पर विद्यमान व्यवसायियों से नियमानुसार तहबजारी शुल्क की वसूली करने का प्रावधान किया गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 19 में भी यह आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु इस बारे इतने समय बाद भी आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। अतः नगर परिषद द्वारा नियमानुसार तहबजारी वसूल करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में तहबजारी वसूलने हेतु उचित कदम उठाये जाने सुनिश्चित करें।

14 पालतू कुत्ता शुल्क की वसूली न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 349, दिनांक 30.3.2016 के सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पालतू कुत्ता शुल्क के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं की गई थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस सन्दर्भ में आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु वर्तमान अंकेक्षण अवधि 31.3.2015 तक इस बारे कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसका तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस शुल्क की वसूली बारे आपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 विज्ञापन शुल्क बारे

नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों/व्यापारियों द्वारा विज्ञापन से सम्बन्धित होर्डिंगस/साईन बोर्ड काफी मात्रा में लगाए गए हैं लेकिन वित्त वर्ष 2008–09, 2009–10 व 2012–13 में इस सन्दर्भ में कोई भी शुल्क प्राप्त नहीं किया गया, जबकि वर्ष 2010–11, 2011–12, 2013–14 व 2014–15 में क्रमशः ₹90,007, ₹3,000, ₹5,400 व ₹36,801 विज्ञापन शुल्क के रूप में प्राप्त किए गए। विज्ञापन प्रचार सामग्रियों की संख्या के दृष्टिगत यह प्रतीत होता है कि विज्ञापन शुल्क नियमित रूप से वसूल नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण नगर परिषद प्रशासन के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 बैंक में ₹2.37 लाख देरी से जमा करवाने पर अस्थाई दुर्विनियोजन करना

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा प्राप्ति की गई राशियों को प्राप्ति के तुरन्त बाद बैंक में जमा न करके देरी से बैंक में जमा किया गया था। रोकड़ बही में दिए गए विवरणानुसार कर्मचारियों द्वारा निम्न विवरणानुसार प्राप्त राशियों को उनके सामने दर्शाई गई तिथियों को बैंक में जमा किया गया था, जिसके फलस्वरूप ₹2,36,755 का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। प्राप्त राशियों को समय पर बैंक में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त देरी से बैंक में अस्थाई दुर्विनियोजन के पश्चात राशि जमा करने पर सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध की गई अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त देरी से राशियों को बैंक में जमा करने पर ब्याज की हानि की भी सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	नाम	माह	कम जमा राशि	कम जमा राशि के देरी से जमा का विवरण	
				माह	जमा राशि
1	श्री प्रदीप कुमार लिपिक	6/2010	3559	2/2015	29
				3/2015	3530
		7/2010	2900	3/2015	2900
		9/2010	2800	3/2015	2800
		10/2010	10563	3/2015	10563
		5/2013	75	3/2015	75
		7/2013	1108	2/2015	1108
		8/2013	21624	9/2013	17613
		10/2013	10696	11/2013	7896
				3/2015	2800
		11/2013	29287	12/2013	26287
				3/2015	3000
		1/2014	5224	2/2014	4337
				3/2014	887
		2/2014	13700	3/2014	11700
				3/2015	2000
		3/2014	2600	3/2015	2600
		4/2014	59338	5/2014	58280
				3/2015	1058
		5/2014	9606	6/2014	8600
				7/2014	6
				3/2015	1000
		8/2014	11650	9/2014	11600
				3/2015	50
		जोड़	**1,84,730**		
2	श्री शरीफ मोहम्मद, कनिष्ठ अभियन्ता	12/2013	303	12/2014	303
		जोड़	**303**		
3	श्री राम करण, लिपिक	7/2011	300	2/2015	300
		2/2013	195	1/2014	195
		3/2013	8053	1/2014	8053
		4/2013	24860	1/2014	24860
		5/2013	15269	12/2014	269
				2/2015	15000
		जोड़	**48,677**		

4	श्रीमती योगिता वाली, लिपिक	9/2010	2810	3/2015	2810
		2/2012	225	3/2015	225
		9/2012	10	3/2015	15
		जोड़	**3,045**		

कुल अस्थाई दुर्विनियोजन की गई राशि (184730+303+48677+3045) = ₹2,36,755

17 रख–रखाव प्रभार की ₹67.28 लाख की वसूली न करना

हाऊसिंग बोर्ड फेस–I, II तथा III के निवासियों से दिनांक 31.3.2015 तक रख–रखाव प्रभार (Maintenance Charges) की ₹67,28,061 लाख वसूल की जानी शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''घ''** में दिया गया है। अतः शेष राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ रख–रखाव प्रभार की उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 दुकानों के किराया की ₹16.68 लाख की वसूली न करना

दुकानों के किराये के रूप में दिनांक 31.3.2015 तक ₹16,68,430 वसूल की जानी शेष थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''ड़''** में दिया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत विवरण एवं दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच उपरान्त दिनांक 31.3.2015 तक नगर परिषद द्वारा कुल ₹22,18,550 किराये की वसूली जानी अपेक्षित थी, जबकि ₹5,50,120 की वसूली की गई। इस प्रकार दिनांक 31.3.2015 को ₹16,68,430 वसूली योग्य शेष थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा किराये पर दी गई दुकानों की मासिक किराये व बकाया शेष राशि को नियमित रूप में वसूल करने हेतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः बकाया राशि की समयबद्ध वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं किरायेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। यह किराये की बकाया राशि नियमानुसार विलम्ब शुल्क सहित वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टालों से किराये की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए।

18.1 खाली दुकानों की नीलामी न करने के कारण नगर परिषद को ₹3.10 लाख की वित्तीय हानि

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि नगर परिषद की दुकान नम्बर 10, 16 व 19 लगभग तीन वर्षों से खाली पड़ी थी जिसके कारण नगर परिषद को ₹3,09,600 की वित्तीय हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0सं0	दुकान नम्बर	किराया (प्रतिमाह)	अवधि जिसमें दुकान खाली रही	किराया न वसूलने पर वित्तीय हानि
1	10	3300	1.4.12 से 31.3.15 (3 वर्ष)	1,18,800
2	16	2500	1.4.12 से 31.3.15 (3 वर्ष)	90,000
3	19	2800	1.4.12 से 31.3.15 (3 वर्ष)	1,00,800
			कुल	**3,09,600**

कार्यकारी अधिकारी द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि इन दुकानों को भण्डार (Store) के लिए प्रयोग किया गया था, जबकि नगर परिषद परिसर की प्रथम मन्जिल में कार्यालय के साथ काफी कमरे खाली पड़े हैं जिसमें समान का भण्डारण असानी से किया जा सकता था, इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा IDSMT Integrated development of small & medium परियोजना के अन्तर्गत जिस उद्देश्य के लिए अनुदान राशि से यह भवन बनाया गया है, भवन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। अतः नगर परिषद द्वारा भण्डार के लिए उपयोग की जा रही दुकानों को तुरन्त खाली करके किराये पर दिए जाने हेतु आवश्यक प्रक्रिया अमल में लाई जाए जिसके कारण नगर परिषद को हो रही वित्तीय हानि को रोका जा सके। इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 आय विभाग में ₹9020 कम जमा करवाकर सम्भावित दुर्विनियोजन करना

भुगतान वाऊचर संख्याः 17, दिनांक 19.4.2013 द्वारा निम्न विवरणानुसार आयकर विभाग को भुगतान किया दर्शाया गया था।

क्रम संख्या	विवरण	अवधि	राशि
1	आयकर	7/2011 से 3/2012	1,07,471
2	आयकर	4/2012 से 3/2013	3,15,585
3	शिक्षा सैस	4/2012 से 3/2013	9,020
		कुल राशि	**4,32,076**

उपरोक्त वाऊचर के साथ संलग्न चलानों के अनुसार निम्न वर्णित राशियां जमा की गई थी।

क्रम संख्या	चालान नम्बर	दिनांक	जमा राशि
1	4	23.4.2013	3,15,585
2	5	23.4.2013	1,07,471
		कुल राशि	**4,23,056**

उपरोक्त विवरणानुसार वाऊचर के विरूद्ध चैक संख्याः 044226 दिनांक 19.4.2013 ₹4,32,076 का श्री प्रदीप कुमार लिपिक के नाम जारी किया गया जिसे श्री प्रदीप कुमार द्वारा दिनांक 22.4.2013 को बैंक से भुनाया था तथा उपरोक्त विवरणानुसार इस राशि के विरूद्ध ₹4,23,056 ही आयकर विभाग में जमा की गई थी तथा (4,32,076 – 4,23,056) = 9020 कम जमा की गई थी। इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 8 दिनांक 18.4.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाया गया था तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न0प0/बद्दी/ऑडिट/2016, दिनांक 30.4.2016 द्वारा सूचित किया था कि कम जमा करवाई गई राशि की छानबीन उपरान्त भरपाई कर ली जाएगी। अतः इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.1 संविदाकारों से वसूली गई आयकर की राशि से ₹32,139 का आयकर विभाग को अधिक भुगतान करना

उपरोक्त वाऊचर के साथ संलग्न सूची में संविदाकारों के बिलों से वसूल की गई आयकर की राशि से अधिक राशि का भुगतान आयकर विभाग को किया गया था जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹32139 का आयकर विभाग को अधिक भुगतान किया गया था। इस राशि की उचित माध्यम/चूककर्ता से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	संविदाकार का नाम	वाऊचर संख्या	दिनांक	आयकर/शिक्षा सैस प्राप्त राशि	आयकर/शिक्षा सैस की भुगतान राशि	अधिक भुगतान राशि
1	श्री भजन सिंह	29	11.6.2012	2102	21019	18917
2	श्री बलजीत सिंह	15	8.8.2012	1175	11718	10543
3	मै0 सुण्डल बिलर्डज	8	7.1.2013	17	1159	1142
4	श्री भजन सिंह	20	10.1.2013	48	1585	1537
					जोड	**32,139**

19.2 संविदाकारों के बिलों से वसूल की गई आयकर शिक्षा सैस, सेल टैक्स व लेबर सैस की ₹7.59 लाख का सम्बन्धित विभागों को भुगतान न करना

उपरोक्त वाऊचर संख्या 17, दिनांक 19.4.2013 के साथ संलग्न सूची में माह 7/2011 से 3/2013 के दौरान संविदाकारों के बिलों से वसूली गई राशियों का विवरण तैयार किया गया। विवरण तैयार करते समय निम्न वाऊचरों द्वारा वसूली गई राशियों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप इन वसूली गई राशियों का सम्बन्धित विभागों को भुगतान नही किया गया था। अतः संविदाकारों के बिलों से वसूली गई राशियों का सम्बन्धित विभागों को भुगतान न करने

बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन राशियों का सम्बन्धित विभागों को शीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	संविदाकार का नाम	वा0 सं0	दिनांक	वसूली गई राशि का विवरण				
				आयकर (₹)	शिक्षा सैस (₹)	लेबर सैस (₹)	सेल टैक्स (₹)	कुल राशि (₹)
1	श्री भजन सिंह	21	27.4.12	2145	64	2145	4299	8653
2	श्री भजन सिंह	32	12.6.12	—	—	901	—	901
3	मैं0 टारगेट ग्रीन पलानैर	7	7.7.12	5600	—	—	—	5600
4	श्री जरनैल सिंह	10	17.7.12	10914	327	10914	21828	43983
5	मैं0 सुण्डला बिलर्डज	11	17.7.12	3215	96	3215	6431	12957
6	मैं0 सुण्डला बिलर्डज	12	17.7.12	6179	185	6179	12358	24901
7	मै0 सुण्डला बिलर्डज	25	30.1.13	4684	141	4684	9369	18878
8	—	17	19.4.13	—	—	203745	—	203745
9	—	9	6.8.14	—	—	167988	243579	411567
10	श्री विमल कुमार	14	17.2.13	14436	—	—	13125	27561
			जोड़	**47173**	**813**	**399771**	**310989**	**758746**

19.3 संविदाकारों के भुगतान बिलों से लेबर सैस की ₹0.79 लाख की वसूली न करना

सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संविदाकारों के भुगतान बिलों से एक प्रतिशत की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में संविदाकारों के भुगतान बिलों से लेबर सैस की ₹79,024 की वसूली नहीं की गई थी। अतः सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संविदाकारों के भुगतान बिलों से लेबर सैस की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की उचित स्त्रोत अथवा चूककर्ता से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	संविदाकार का नाम	वा0 सं0	दिनांक	संविदाकारों को कुल भुगतान	लेबर सैस की एक प्रतिशत की दर से वसूली योग्य राशि
1	श्री चरण दास	11	20.9.11	1,78,500	1,785
2	श्री चरण दास	4	13.10.11	2,10,000	2,100
3	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	5	13.10.11	2,50,000	2,500
4	श्री चरण दास	5	15.11.11	2,10,000	2,100
5	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	6	15.11.11	2,50,000	2,500

6	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	5	13.12.11	2,50,000	2,500
7	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	5	6.1.12	2,50,000	2,500
8	श्री चरण दास	6	13.12.11	2,10,000	2,100
9	श्री चरण दास	4	6.1.12	2,10,000	2,100
10	श्री चरण दास	12	15.2.12	2,01,875	2,019
11	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	13	15.2.12	2,43,125	2,431
12	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	11	14.3.12	2,31,250	2,313
13	श्री चरण दास	12	14.3.12	1,95,000	1,950
14	श्री चरण दास	16	2.4.12	2,10,000	2,100
15	श्री चरण दास	5	11.5.12	2,10,000	2,100
16	श्री चरण दास	21	2.6.12	2,10,000	2,100
17	श्री चरण दास	6	7.7.12	2,10,000	2,100
18	श्री चरण दास	2	1.8.12	1,05,000	1,050
19	श्री चरण दास	12	16.8.12	2,40,000	2,400
20	श्री चरण दास	14	11.9.12	1,20,000	1,200
21	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	17	2.4.12	2,50,000	2,500
22	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	6	11.5.12	2,50,000	2,500
23	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	22	2.6.12	2,50,000	2,500
24	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	3	8.1.12	1,25,000	1,250
25	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	13	16.8.12	2,87,000	2,870
26	मैं0 टारगेट ग्रीन पलैनेट	15	12.9.12	2,87,000	2,870
27	मैं0 सण्डला बिलर्डज	19	22.11.13	7,71,419	7,714
28	मैं0 सण्डला बिलर्डज	21	22.6.13	6,79,111	6,791
29	श्री विमल कुमार	6	3.7.13	43,861	438
30	श्री विमल कुमार	20	21.8.13	7,27,551	7,275
31	श्री मोहन लाल	15	30.1.14	12,729	127
32	श्री मोहन लाल	16	30.1.14	24,091	241
				कुल राशि	**79,024**

20 संविदाकारों से आयकर की ₹3.23 लाख की कम वसूली करना

संविदाकारों के भुगतान से स्त्रोत पर आयकर की वसूली से सम्बन्धित दिशा निर्देशों के अनुसार कम्पनी/फर्म को किए जाने वाले भुगतान से वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 के दौरान 2 प्रतिशत की दर से आयकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 के दौरान संविदाकार कम्पनी/फर्म को भुगतान करते समय एक प्रतिशत की दर से ही आयकर की वसूली की गई थी। इस प्रकार संविदाकार/फर्मों से दो प्रतिशत आयकर के स्थान पर एक प्रतिशत आयकर की वसूली करने के

फलस्वरूप संविदाकारों से आयकर की ₹3,22,847 की कम वसूली की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''च''** पर दिया गया है। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 18, दिनांक 30.4. 2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी के ध्यान में लाया गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः संविदाकारों से आयकर की कम कटौती के कारणों को स्पष्ट करते हुए उचित स्त्रोत से राशि की वसूली की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.67 लाख का अधिक भुगतान

नगर परिषद कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के भुगतान की जांच करने पर ₹66,584 के अधिक भुगतान एवं कम वसूली के मामले पाए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

21.1 मकान किराये भत्ते का अधिक भुगतान एवं लाईसैंस फीस की कम वसूली

(क) नगर परिषद बद्दी द्वारा आवास बोर्ड कलोनी फेस–1 में फलैट नम्बर 20 को नगर परिषद बद्दी के कार्यकारी अधिकारी के निवास हेतु आबंटन किया गया था। नगर परिषद बद्दी में माह 3/2013 से 3/2015 के दौरान श्री सुधीर कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने उपरोक्त फलैट का कब्जा Possession नहीं लिया था तथा वह मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी का चिन्हित मकान होने के कारण उन्हें मकान किराये भत्ते का भुगतान नहीं किया जाना था तथा उनसे लाईसैंस फीस की वसूली भी की जानी थी। इस प्रकार श्री सुधीर कुमार शर्मा से लाईसैंस फीस की वसूली न करके व उन्हें मकान किराये भत्ते का भुगतान करके उन्हें निम्नानुसार ₹24,700 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	विवरण	अवधि	माह	दर प्रति माह	कुल अधिक भुगतान
1	मकान किराये भत्ते का भुगतान	1.3.13 से 31.3.15	25	600	15,000
2	लाईसैंस शुल्क की वसूली योग्य राशि	1.3.13 से 31.3.15	25	388	9,700
				कुल राशि	**24,700**

(ख) इसके अतिरिक्त श्री सुधीर कुमार शर्मा, कार्यकारी अधिकारी बद्दी को वाऊचर संख्याः 5 माह 4/2013 द्वारा ₹8734 का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया था।

क्रमांक	विवरण	अवधि	माह	दर प्रतिमाह	कुल राशि
1)	मकान किराया भत्ता	1.4.12 से 28.2.13	11	600	6600

2)	लाईसैंस फीस	1.4.12 से 28.2.13	11	194	2134
				जोड	**8734**

भुगतान वाऊचरों के अनुसार श्री सुधीर कुमार शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को अवधि 1.4.2012 से 28.2.2013 के दौरान मकान किराये भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था तथा सरकारी मकान होने पर उनसे ₹194 प्रति माह लाईसैंस फीस की वसूली की गई थी। वाऊचर के साथ संलग्न श्री सुधीर कुमार के पत्र के अनुसार उन्होंने प्रधान नगर परिषद को सूचित किया कि उन्होंने कार्यकारी अधिकारी के रिहायशी मकान का (कब्जा) Possession नहीं लिया था तथा उन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान मकान किराये भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था तथा उनके वेतन से लाईसैंस फीस भी गलत वसूली गई थी जिसका उन्हें भुगतान किया जाए तथा उपरोक्त पत्र के आधार पर श्री सुधीर कुमार कार्यकारी अधिकारी को भुगतान किया गया था। नगर परिषद बद्दी में कार्यकारी अधिकारी का चिन्हित आवास है जिसे अन्य किसी कर्मचारी को आबंटित नहीं किया जा सकता था तथा कार्यकारी अधिकारी से कार्यग्रहण की तिथि से लाईसैंस फीस की वसूली की जानी थी व उन्हें मकान किराये भत्ते का भुगतान नहीं किया जाना था। इसके अतिरिक्त श्री सुधीर कुमार शर्मा, कार्यकारी अधिकारी अपने आप आहरण एवं वितरण अधिकारी थे तथा यह कहना की उनके वेतन में गलती से मकान किराये भत्ते का भुगतान नहीं किया गया व लाईसैंस फीस की वसूली की गई उचित नहीं है। अतः श्री सुधीर कुमार कार्यकारी अधिकारी को अनियमित रूप से किए गए उपरोक्त भुगतान की ₹8734 की वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वाऊचर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया है, जिसे भुगतान हेतु पारित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

21.2 लाईसैंस फीस की ₹0.13 लाख की कम वसूली

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन संख्याः GAD-D-3(C)14-2/97, दिनांक 21.9.2010 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टाईप–III के रिहायशी मकान की लाईसैंस फीस की वसूली ₹388 प्रति माह की दर से की जानी थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद बद्दी के कर्मचारियों को टाईप–III के रिहायशी मकान आबंटित किए गए थे लेकिन उनसे उपरोक्त आदेशों के अनुसार लाईसैंस फीस की वसूली नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹13,446 की लाईसैंस फीस की कम वसूली की गई थी। सम्बन्धित कर्मचारियों से इस राशि की वसूली करके राशि नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पद	अवधि	लाईसैंस फीस प्राप्ति योग्य राशि	लाईसैंस फीस प्राप्त राशि	प्रति माह कम प्राप्ति	माह	कुल कम प्राप्ति
1	श्री सुधीर कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी	1.4.12 से 28.2.13	388	194	194	11	2134
2	श्री के0एल0 ठाकुर कार्यकारी अधिकारी	21.9.10 से 30.9.10	129	65	64	1	64
		1.10.10 से 31.3.12	388	194	194	18	3492
3	श्री राजेश चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता	1.3.11 से 30.4.12	388	194	194	14	2716
4	श्रीमती योगिता वाली लिपिक	1.6.12 से 31.7.14	388	194	194	26	5040
						कुल राशि	**13,446**

21.3 कर्मचारियों के वेतन से काटी गई आयकर की राशि से ₹10,934 का आयकर विभाग को अधिक भुगतान करना

वर्ष 2013–14 के दौरान कर्मचारियों के वेतन से आयकर की स्त्रोत पर काटी/वसूली गई ₹92,639 का भुगतान वाऊचर संख्या 28, माह 3/2014 द्वारा आयकर विभाग को किया गया था। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान नगर परिषद बद्दी के कर्मचारियों से ₹81,705 आयकर की वसूली की गई थी। आयकर की वसूल की गई ₹81,705 के स्थान पर आयकर विभाग को ₹92,639 का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार ₹10,934 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली सम्बन्धित विभाग से करना सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पद	माह	आयकर की वसूली गई राशि	आयकर की भुगतान राशि	अधिक भुगतान राशि
1	श्री सुधीर कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी	2/2014	18,688	18,688	–
2	श्री शरीफ मोहम्मद कनिष्ठ अभियन्ता	2/2014	15,354	15,354	–
3	श्रीमती योगिता वाली लिपिक	2/2014	29,714	29,714	–
4	श्री प्रदीप कुमार लिपिक	2/2014	13,328	13,328	–
5	श्री हरि कृष्ण डोगरा लेखाकार	8/13 से 1/14	6000		
	₹1000 प्रतिमाह रिफण्डिड वा0 नं0 3 माह 3/2014		(–) 1379		

		4621	10,621	6000
बिना विवरण भुगतान राशि		—	4934	4934
	जोड़	**81,705**	**92,639**	**10,934**

21.4 श्रीमती योगिता वाली के आयकर की ₹10,054 का नगर परिषद निधि से अनुचित भुगतान करना

वाऊचर संख्याः 28 माह 3/2014 के अनुसार श्रीमती योगिता वाली के माह 2/2014 के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की गई थी,

मूल वेतन	9661
ग्रेड पे	1900
महंगाई भत्ता	9249
एच0सी0ए0	200
कुल राशि	**21,010**
वसूलियां	
आयकर वसूली	29714
पी0पी0एफ0	1156
लाईसैंस फीस	194
कुल वसूली	**31064**
भुगतान योग्य राशि (–)	**10054**

उपरोक्त विवरणानुसार श्रीमती योगिता वाली के आयकर की राशि ₹10,054 का नगर परिषद निधि से भुगतान किया गया था। अंकेक्षण समाप्त होने तक उपरोक्त राशि श्रीमती योगिता वाली के वेतन से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त ₹10054 की वसूली करके राशि नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

21.5 मकान किराये भत्ते की ₹6,700 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री शरीफ मोहम्मद, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हरिकृष्ण डोगरा, लिपिक को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन(सी)13(7)1/2012, दिनांक 28.2.2012 द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर मकान किराये भत्ते का भुगतान किया गया था, जिसके फलस्वरूप उनको निम्नविवरणानुसार ₹6700 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पद	अवधि	मकान किराया भत्ता देय	भुगतान किया गया मकान किराया भत्ता	प्रतिमाह अधिक भुगतान	माह	अधिक भुगतान
1	श्री शरीफ मोहम्मद, कनिष्ठ अभियन्ता	1.7.12 से 31.7.14	400	500	100	25	2500
2	श्री हरि कृष्ण डोगरा	1.8.13 से 31.7.14	550	900	350	12	4200
						जोड़	**6700**

21.6 मकान किराये भत्ते की ₹700 का अनियमित भुगतान करना

श्रीमती योगिता वाली लिपिक को रिहायशी मकान आबंटित किए जाने पर उनके माह 6/2012 व 7/2012 के वेतन से ₹194 प्रतिमाह की दर से लाईसैंस फीस की वसूली की गई थी। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि उन्हें माह 6/2012 व 7/2012 के वेतन के साथ ₹350 प्रति माह की दर से मकान किराये भत्ते का भी भुगतान किया गया था। नियमानुसार रिहायशी मकान आबंटित होने पर मकान किराये भत्ते का भुगतान नहीं किया जाना था अतः श्रीमती योगिता वाली को माह 6/2012 व 7/2012 में मकान किराये भत्ते की भुगतान की गई ₹700 की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

21.7 सेवा पुस्तिका का सत्यापन न करना

श्रीमती योगिता वाली लिपिक की अवधि 1.4.2003 से 31.1.2008 तक व अवधि 1.2.2010 से 31.1.2012 तक की सेवा पुस्तिका सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। अतः सम्बन्धित अधिकारियों से श्रीमती योगिता वाली की उपरोकत अवधि की सेवा पंजिका को सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 5, दिनांक 4.4.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी के ध्यान में लाया गया था, लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा इस सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः उक्त प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 स्टाफ अग्रिम की ₹1.97 लाख का समायोजन न करना

कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद के विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों हेतु निम्नविवरणानुसार ₹1,97,000 का अग्रिम प्रदान किया गया था, जिसका समायोजन अंकेक्षण समाप्त होने तक नहीं किया गया

था। अग्रिम राशियों का समायोजन न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन राशियों का समायोजन सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पद	वाऊचर संख्या	दिनांक	भुगतान राशि	उद्देश्य
1	श्री राम करण लिपिक	10	19.5.12	20,000	स्टेशनरी खरीद हेतु
		15	2.6.12	15,000	फिनायल खरीद हेतु
		15	17.5.13	15,000	स्टेशनरी खरीद हेतु
		16	17.5.13	2,000	वाईलाज अपडेशन
				52,000	
2	श्री शरीफ मोहम्मद, कनिष्ठ अभियन्ता	16	6.10.13	10,000	वाहन मुरम्मत हेतु
		14	20.6.14	5,000	वाहन मुरम्मत हेतु
		14	21.8.14	35,000	पौधे खरीदने हेतु
				50,000	
3	श्री प्रदीप कुमार, लिपिक	16	14.8.13	50,000	पौधे खरीदने हेतु
		26	26.3.14	20,000	वाहन मुरम्मत
		10	17.7.14	5,000	वाहन मुरम्मत
		22	27.09.14	20,000	स्टेश्नरी खरीद हेतु
				95,000	

कुल भुगतान (52,000 + 50,000 + 95,000 = ₹1,97,000)

23 कार्य का नाम — हि0प्र0 आवास बोर्ड कलॉनी फेस–III में बद्दी साई रोड़ से अमरावती अर्पाटमैन्ट तक सड़क का निर्माण कार्य करना

संविदाकार — मैं0 जवाहर अर्थ मूवर एण्ड निर्माण कम्पनी बद्दी जिला सोलन

अनुमानित राशि — ₹41,81,239

अनुबन्ध राशि — ₹48,03,803

समय अवधि — 6 माह

कार्य आरम्भ तिथि — 15.3.2014

उपरोक्त कार्य के प्रथम व द्वितीय चलत बिल के दौरान किए गए भुगतान की विस्तृत जांच करने पर ₹8,00,000 से अधिक भुगतान/कम वसूली के मामले एवं अन्य अनियमिततायें पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

23.1 वाऊचर संख्याः 21, दिनांक 24.6.2014 द्वारा संविदाकार को ₹8,00,000 के अग्रिम का भुगतान किया गया था। वाऊचर संख्याः 34, माह 10/2014 द्वारा द्वितीय चलत बिल का भुगतान करते

समय संविदाकार से उपरोक्त अग्रिम भुगतान के विरूद्ध ₹5,00,000 की ही वसूली की गई थी, जबकि संविदकार द्वारा दूसरे चलत बिल के दौरान ₹15,66,913 का कार्य किया गया था, जिसके अनुसार अग्रिम सन्दर्भ ₹8,00,000 की वसूली की जानी वांछित थी। इस प्रकार संविदाकार से दूसरे चलित बिल के दौरान अग्रिम ₹8,00,000 के स्थान पर ₹5,00,000 की वसूली करने कारण तथा ₹3,00,000 की कम वसूली करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। अतः अग्रिम राशि की पूरी वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए शेष राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

23.2 अनुबन्ध की शर्त संख्या 4 के अनुसार "Work should be completed within 6 month positively in all respect failing which a panality of ₹5000 per up to a maximum of ₹5,00,000 will be charged in additions to provision of agreement clouse" । उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने की अवधि दिनांक 15.9.2014 को समाप्त हो गई थी, लेकिन दिनांक 31.3.2015 तक उपरोक्त कार्य पूरा नहीं किया गया था न ही सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य अवधि में बढ़ौतरी की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः उपरोक्त अनुबन्ध की शर्त के अनुसार संविदाकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने की स्थिति से संविदाकार से Panality के रूप में ₹5,00,000 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

23.3 उपरोक्त कार्य का आबंटन करते समय दरों की जस्टीफिकेशन नहीं बनाई गई थी। कार्य मदों की दरों की जस्टीफिकेशन के अभाव में संविदाकार को स्वीकृत की गई दरों के सही होने की जांच नहीं की जा सकी।

23.4 संविदाकार के चलत बिलों के साथ कार्य में उपयोग किए सीमेन्ट की Consumption statement तैयार नहीं की गई थी।

23.5 संविदाकार द्वारा कार्य में उपयोग किए गए सीमेन्ट के सत्यापन हेतु संविदाकार द्वारा कम किए गए सीमेन्ट से सम्बन्धित बिल प्राप्त करके वाऊचर के साथ नहीं लगाये गए थे।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दौहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24. संविदाकार को ₹62,050 का अधिक भुगतान करना

कार्य का नाम	Transportation of Grabage including loading and unloading up to dumping site from Municipal Council area Baddi

अनुबन्ध राशि	₹1,08,000 प्रति माह
अनुबन्ध संख्या	MC/Baddi/Sanitation-2013-1237, dt. 26-9-2013
अनुबन्ध अवधि	1.10.2013 से 30.9.2014 तक

संविदाकार के साथ इकरारनामें की शर्त संख्या 11 के अनुसार संविदाकार द्वारा 2 ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने थे तथा प्रत्येक ट्रैक्टर पर 3 सफाई कर्मचारी व एक ड्राईवर कुल 8 कर्मचारी तैनात करने थे। कार्य की जस्टीफिकेशन के अनुसार कर्मचारियों की प्रति प्रतिदिन मजदूरी ₹170 दर्शाई गई थी। भुगतान वाऊचरों के साथ संलग्न उपस्थिति चार्ट के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रतिदिन आठ कर्मचारियों के स्थान पर सात कर्मचारी ही तैनात किए गए थे, परन्तु फिर भी संविदाकार को प्रतिमाह ₹1,08,000 का भुगतान किया गया था, जबकि इस प्रकार संविदाकार द्वारा इकरारनामें की शर्त के अनुसार आठ कर्मचारियों के स्थान पर सात कर्मचारी तैनात किए जाने पर संविदाकार के भुगतान से अनुपातिक आधार पर एक कर्मचारी के वेतन की कटौती की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार के भुगतान से एक कर्मचारी के वेतन की वसूली न करने के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹62,050 का अधिक भुगतान किया गया था।

क्र0 सं0	वा0 संख्या/ दिनांक	भुगतान राशि	जिस माह को भुगतान किया गया	कम दर्शाये गए एक कर्मचारी के वेतन की वसूली योग्य राशि		
				दिन	दर	राशि
1	9/1.11.2013	1,08,000	10/2013	31	170	5270
2	7/6.12.2013	1,08,000	11/2013	30	170	5100
3	9/3.1.2014	1,08,000	12/2013	31	170	5270
4	4/5.2.2014	1,08,000	1/2014	31	170	5270
5	2/1.3.2014	1,08,000	2/2014	28	170	4760
6	13/4.4.2014	1,08,000	3/2014	31	170	5270
7	5/5.5.2014	1,08,000	4/2014	30	170	5100
8	3/6.6.2014	1,08,000	5/2014	31	170	5270
9	4/5.7.2014	1,08,000	6/2014	30	170	5100
10	6/2.8.2014	1,08,000	7/2014	31	170	5270
11	6/2.9.2014	1,08,000	8/2014	31	170	5270
12	9/7.10.2014	1,08,000	9/2014	30	170	5100
						62,050

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12, दिनांक 20.4.2016 द्वारा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया था। सिजके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी ने पत्र संख्याः न0प0/बद्दी/ऑडिट/2016, दिनांक 30 अप्रैल 2016 द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त मामले में आवश्यक छानबीन के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को अधिक भुगतान की गई ₹62,050 की उचित माध्यम/चूककर्त्ता से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25. संविदाकार को ₹61,656 का अधिक भुगतान करना

कार्य का नाम	नगर परिषद बद्दी में वार्ड नम्बर 1 से वार्ड नम्बर 9 तक (बद्दी साई रोड़ व आवास बोर्ड कलॉनी फेस–I, II, III को छोड़कर) का सफाई कार्य प्रति माह करना
अनुबन्ध संख्या	नगर परिषद बद्दी सैनिटेशन 2013–1238, दिनांक 26.9.2013
कार्य अवधि	1.10.2013 से 30.9.2014 तक
अनुबन्ध राशि	₹1,49,000 प्रति माह

उपरोक्त कार्य आबंटन से सम्बन्धित इकरारनामें की शर्त संख्या 7 के अनुसार संविदाकार द्वारा कुल 29 कर्मचारी उपरोक्त कार्य हेतु प्रतिदिन तैनात करने थे तथा कर्मचारियों की उपस्थिति का चार्ट भी कार्यलाय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। इकरारनामें की शर्त संख्या 17 के अनुसार यदि प्रतिदिन कर्मचारी निर्धारित संख्या से कम तैनात किए जाते हैं तो संविदाकार के भुगतान से अनुपस्थित कर्मचारियों/कम तैनात किए कर्मचारियों के वेतन की अनुपातिक आधार पर कटौती करके संविदाकार को भुगतान किया जाना था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार द्वारा प्रतिदिन 29 कर्मचारियों के स्थान पर 28 कर्मचारी ही तैनात किए गए थे जिसका विवरण भुगतान वाऊचरों के साथ संलग्न कर्मचारियों के उपस्थिति चार्ट में दिया गया था। जिसके अनुसार संविदाकार द्वारा प्रतिदिन 28 कर्मचारी ही उपस्थित दिखाये गए थे। एक कर्मचारी को प्रतिमाह ₹5138 (₹149000 ÷ 29) की दर से भुगतान से वसूली करनी अपेक्षित थी, लेकिन किए गए भुगतान से कोई वसूली नहीं की गई थी संविदाकार को माह 10/2013 से 9/2014 के दौरान ₹149000 प्रति माह भुगतान किया गया था। इस प्रकार एक कर्मचारी कम उपस्थित दर्शाये जाने पर संविदाकार के भुगतान से प्रति माह ₹5138 व अनुबन्ध अवधि 1.4.2013 से 30.9.2014 तक 12 माह के लिए ₹61656 (₹5138 x 12) की वसूली करके भुगतान किया जाना अपेक्षित था

लेकिन संविदाकार से उपरोक्त राशि की वसूली न करके संविदाकार को ₹61656 का अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13, दिनांक 20.4.2016 द्वारा उपरोक्त मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी के ध्यान में लाया गया था। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी द्वारा पत्र संख्या न0प0/बद्दी/ऑडिट/2016, दिनांक 30.4.2016 द्वारा सूचित किया गया कि नगर परिषद द्वारा उचित छानबीन के उपरान्त उचित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की गई ₹61656 की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26. संविदाकार को सफाई कार्य हेतु ₹42,171 का अधिक भुगतान करना

अवधि 1.9.2012 से 31.8.2013 तक नगर परिषद बद्दी के क्षेत्र की सफाई का अनुबन्ध मैं0 सम्पर्क सर्विसिज़ हाऊस नम्बर 256 सैक्टर 46 चण्डीगढ़ के साथ अनुबन्ध संख्याः एम0सी0/बद्दी/सैनीटेशन/2012–13–903, दिनांक 28.8.2012 द्वारा ₹5,50,000 प्रति माह की दर से किया गया था। अनुबन्ध की शर्त संख्याः 13 के अनुसार प्रति दिन कार्य पर 90 कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर लगाये जाने थे तथा अनुबन्ध की शर्त संख्याः 23 के अनुसार निर्धारित संख्या से कम सफाई कर्मचारी पाये जाने पर अनुबन्ध की राशि से अनुपातिक आधार पर वसूली की जानी थी।

उपरोक्त कार्य का अनुमान निम्नानुसार तैयार किया गया था।

1	90 मजदूर ₹120 प्रति दिन प्रति मजदूर की दर से 30 दिन हेतु राशि	3,24,000
2	दो नम्बर ट्राली का प्रति माह का व्यय	40,000
3	दो नम्बर डम्पर पलेसर का प्रति माह का व्यय	40,000
4	सैनीटेशन टूल/झाड़ू इत्यादि पर प्रति माह व्यय	10,000
		4,14,000
	संविदाकार प्रीमियम 10% की दर से	41,400
	कुल अनुमानित राशि	**4,55,400**

उपरोक्त कार्य संविदाकार को ₹5,50,000 प्रति माह की दर से आबंटित किया गया था जो अनुमानित राशि से 20.77% $\left(\frac{5,50,000 - 4,55,400}{4,55,000} \times 100\right)$ उपर आबंटित किया गया था।

संविदाकार को किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार के भुगतान वाऊचर के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति का चार्ट लगाया गया था जिसके अनुसार माह के दौरान कुछ कर्मचारी अनुपस्थित थे तथा कुल 90 कर्मचारी ही कार्य पर लगाये गए थे। इन कर्मचारियों के अनुपस्थितियों के दिनों के वेतन की अनुबन्ध की उपरोक्त शर्त के अनुसार अनुपातिक आधार पर संविदाकार से वसूली न करके संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹42,171

का अधिक भुगतान किया गया था। इस प्रकार संविदाकार के बिलों से अनुपस्थित कर्मचारियो के वेतन की अनुपातिक आधार पर वसूली न करने बारे मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16, दिनांक 28.4.2016 को कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न0प0/बद्दी/ऑडिट/2016, दिनांक 30.4.2016 द्वारा सूचित किया गया कि उचित छानबीन के उपरान्त वांछित राशि की वसूली कर ली जायेगी। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई ₹42,171 की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0	माह	भुगतान राशि	जिस माह का भुगतान किया गया	उपस्थिति चार्ट के अनुसार कुल अनुपस्थितियां	दर ₹120 + 20.77% प्रतिदिन	राशि
1	17	10/2012	5,50,000	9/2012	60 दिन	144.92	8695
2	7	11/2012	5,50,000	10/2012	109 दिन	144.92	15796
3	12	12/2012	5,50,000	11/2012	122 दिन	144.92	17680
						कुल राशि	**42171**

27. सेल टैक्स/वैट की ₹48,580 लाख की कम वसूली करना

वैट ऐक्ट में दिए गए प्रावधानानुसार वर्ष 2014–15 के दौरान संविदाकारों के भुगतान से 3 प्रतिशत की दर से सेल टैक्स की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ संविदाकारों से वर्ष 2014–15 के दौरान उन्हें किए गए भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से ही सेल टैक्स की वसूली की गई थी। सेल टैक्स की वर्ष 2014–15 के दौरान संविदाकारों के बिलों से 3 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने के फलस्वरूप ₹48,580 सेल टैक्स की कम वसूली की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''छ''** पर दिया गया है। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 18, दिनांक 30.4.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी के स्थान में लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रति उतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28. गत वर्षों से स्टॉक में पड़े 4491–800 कि0ग्रा0 स्टील के उपयोग के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत न करना

स्टील स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2006 से वर्ष 2008 के दौरान क्रय किए गए स्टील की निम्न विवरणानुसार ₹4491–800 कि0ग्रा0 मात्रा स्टॉक में पड़ी थी। इस स्टील की मात्रा का स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षण समाप्त होने तक उपयोग नहीं किया गया था।

क्र0सं0	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या	प्राप्ति की दिनांक	सरिये का विवरण	मात्रा किलोग्राम
1	4 व 5	15.1.2006	8 एम0एम	1760 किलोग्राम
			20 एम0एम	430 किलोग्राम
2	4 व 5	28.2.2006	8 एम0एम	260 किलोग्राम
3	4 व 5	16.6.2006	संविदाकार से वापिस प्राप्त किया का विवरण नहीं दिया गया	2041.800 कि0ग्रा0
				4491–800 कि0ग्रा0

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 14, दिनांक 23.4.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी के ध्यान में लाया गया था। कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्याः न0प0 बद्दी/ऑडिट/2016–252, दिनांक 23 अप्रैल 2016 द्वारा श्री शरीफ मोहम्मद, कनिष्ठ अभियन्ता से स्टील की शेष दर्शाई गई मात्रा को उपयोग न करने बारे स्पष्टीकरण मांगा था तथा प्रत्यक्ष सत्यापन करवाने को कहा था जिसकी प्रति अंकेक्षण को भी की गई थी लेकिन कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त उतर के बारे में अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः उपरोक्त स्टील की पूर्व 8 वर्षों से स्टॉक में दर्शाई जा रही मात्रा को उपयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस मात्रा का शीघ्र उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29.

कार्य का नाम	प्रोवाईडिंग ऑफ 16 मीटर हाई मास्क लाईट इन चाय पार्क फेस–III बद्दी
संविदाकार का नाम	मैं0 कुमार इलैक्ट्रानिकस ऊना
अनुबन्ध राशि	₹7,90,709/–
अनुबन्ध संख्या	एम0सी/बद्दी/अवार्डलैटर/2014–153, दिनांक 24.2.2014

उपरोक्त कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान वाऊचर संख्याः 21, माह 3/2014 द्वारा ₹412940 के लिए किया गया था भुगतान की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :–

(1) ₹6840 का अनियमित भुगतान

अनुबन्ध की मद संख्याः 3 द्वारा वर्णित कार्य Providing and Laying 1 No. aluminium Conducter PVC Insulated and PVC Sheated annored/xLPE Power Cable working Voltage 1100 Volts grade direct in ground to be laid 1 meter below the ground level etc. के लिए कोई दर नहीं भरी गई थी, जिसके अनुसार उपरोक्त कार्य के लिए संविदाकार को कोई भुगतान नहीं किया जाना था। कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल के दौरान उपरोक्त कार्य के लिए

मद संख्या 3 के अन्तर्गत 16 मीटर कार्य मात्रा के लिए ₹300 प्रति मीटर की दर से ₹4800 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्याः 30, पृष्ठ 3 पर किया गया था तथा मद संख्याः 7 के अर्न्तगत 8 मीटर कार्य मात्रा के लिए ₹255 प्रति मीटर की दर से ₹2040 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 30 पृष्ठ 4 पर किया गया था। उपरोक्त मद के लिए संविदाकार द्वारा दर न भरे जाने पर उसे किए गए कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाना था। अतः संविदाकार को उपरोक्त विवरणानुसार किए गए अनुचित भुगतान (₹4800 + ₹2040) = ₹6840 की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) संविदाकार द्वारा अनुबन्ध की कुल राशि पर 0.01 प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी, जिसके अनुसार संविदाकार से बिल की कुल ₹4,12,940 पर ₹413 की छूट प्राप्त की जानी थी जबकि बिल की शुद्ध राशि ₹3,64,340 पर ₹365 की छूट प्राप्त की गई थी। अतः ₹48 की कम छूट प्राप्त की गई थी जिसकी संविदकार से वसूली सुनिश्चित की जाए।

30.	कार्य का नाम	वार्ड नम्बर 8 व 9 बद्दी में आई0पी0एच पम्प हाऊस से स्प्रे इन्जिनियरिंग तक सड़क की मैटलिंग एंव टायरिंग से सम्बन्धित निर्माण कार्य करना
	संविदाकार का नाम	श्री जरनैल सिंह
	अनुबन्ध राशि	₹10,66,725
	कार्य आरम्भ की तिथि	दिनांक 26.6.2012
	कार्य पूर्ण की तिथि	दिनांक 8.7.2012

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलत बिल का भुगतान मापन पुस्तिका संख्याः 26, पृष्ठ 63 पर किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर निम्न अनियमिततायें पाई गई।

(i) ₹6137 का अधिक भुगतान

कार्य के प्रथम चलत बिल का मापन पुस्तिका संख्याः 26, पृष्ठ 63 पर की गई गणना के अनुसार संविदाकार को ₹9,38,289 का भुगतान किया जाना था।

बिल की कुल राशि	₹10,91,413
<u>वसूलियां</u>	
प्रतिभूति राशि	₹1,09,141
आयकर	₹10,914
शिक्षा सैस	₹327

सेल टैक्स	₹21,828	
लेबर सैस	₹10,914	
	₹1,53,124	(–) 15,31,124
	भुगतान योग्य राशि	**₹9,38,289**

गणना में गलती के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹9,44,426 का भुगतान किया गया था।

वाऊचर संख्या	दिनांक	भुगतान की गई राशि
10	17.7.12	7,08,320
10	3.9.12	2,36,106
		9,44,426

इस प्रकार गणना में गलती के कारण संविदाकार को (944426 – 9382.89) = ₹6137 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16, दिनांक 28.4.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाया गया था। जिसकी अनुपालना में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न0प0/बद्दी/ऑडिट/2016, दिनांक 30.4.2016 द्वारा आशवासन दिया गया कि उपरोक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने के साथ संस्था की आन्तरिक जांच प्रणाली को सुदृढ किया जाए।

31 वाऊचर संख्या 12, दिनांक 10.10.2014 के भुगतान की गई ₹49,720 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2015 तक के दौरान नगर परिषद द्वारा वाऊचर संख्या 12, दिनांक 10.10.2014 द्वारा ₹49,720 का चैक संख्या 328157, दिनांक 10.10.2014 से श्री विजय कुमार ठेकेदार को निर्माण कार्य (Repair of street from baddi to pipple tree in ward no 4) के लिए भुगतान किया गया है, जिसकी प्रविष्टि कनिष्ठ अभियन्ता परिषद द्वारा माप बुक नं0 30 के पृष्ठ संख्या 43 से 44 पर दर्ज की गई थी परन्तु निर्माण कार्य के अवार्ड से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख मौखिक रूप से बार–बार अनुरोध करने के उपरान्त भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह प्रतीत होता है यह अनियमित भुगतान किया गया है। अतः यह मामला नगर परिषद के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि उक्त मामले में वांछित कार्रवाई करके आगामी अंकेक्षण में वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

32 जलपान व्यय के भुगतान ₹3000 से सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत न करना

माह 10/2014 के व्यय की जांच में पाया गया कि परिषद ने वाऊचर संख्या 21, दिनांक 17.10.2014 द्वारा परिषद में सभाओं के आयोजन इत्यादि पर चाय/जलपान से सम्बन्धित माह 10/2013 से 8/2014 के दौरान मैसर्ज संतोश कुमार बद्दी को चैक संख्या 328166, दिनांक 17.10.2014 द्वारा राशि ₹3000 भुगतान किया गया था परन्तु उक्त अवधि के दौरान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे से सम्बन्धित रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की गई राशि की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः उक्त अवधि से सम्बन्धित रजिस्टर आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए

33 भुगतान की गई ₹9600 पावती न दिखाने बारे

अंकेक्षण अवधि के दौरान माह 10/2014 के व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्याः 10, द्वारा सहायक अभियन्ता HIMUDA मण्डल बद्दी को फेस नम्बर–I, II & III के पार्कों में नये पानी के कनैक्शन लेने के लिए ₹9600 का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्ति की रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे भुगतान की गई राशि की पुष्टि की जांच नहीं की जा सकी। अतः उचित माध्यम से रसीद प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में दिखायी जानी सुनिश्चित किया जाए।

34 विविध

(i) रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान रसीद बुकों से सम्बन्धित स्टॉक अंकेक्षण की समाप्ति तक जांच पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस महत्वपूर्ण रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए इससे पहले भी यह मामला अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2012 के पैरा संख्याः 7(क) द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद ने स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव करने में गम्भीर नहीं है, जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुकों के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों इनकी प्राप्तियों तथा जारी करने सम्बन्धी रसीदों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मामले को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के अधार पर रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार करके आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित रसीदें (जी–8) सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर रद्द कर दी गई थी जबकि नियमानुसार जी–8 रद्द की गई रसीदों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित (Attest) किया जाना अनिवार्य था जोकि नहीं किया गया था :–

क्र0सं0	रसीद संख्या	राशि	माह	टिप्पणी
1	5938	2000	8/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
2	5940	500	8/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
3	5951	250	9/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
4	5952	250	9/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
5	5953	–	9/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
6	5954	–	9/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
7	5961	4793	8/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
8	6107	1158	12/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
9	6111	3600	12/2012	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
10	6154	1000	2/2013	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
11	6166	–	2/2013	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
12	6908	–	7/2013	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
13	7193	4700	11/2013	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
14	7268	300	2/2014	रसीद का रद्द किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।

(iii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित रसीदें सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा खाली छोडी (Left blank) गई थी जबकि नियमानुसार कोई भी रसीद बुक जारी की जाती है तो उसको पूर्ण रूप से उपयोग करने के उपरान्त ही अगली रसीद बुक जारी की जानी अपेक्षित है परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा इन रसीदों/बुकों की जांच नहीं की गई।

क्रम संख्या	रसीद संख्या	माह	टिप्पणी
1	6699	—	रसीद जारी नहीं की गई अतः खाली पड़ी थी।
2	7000	—	रसीद जारी नहीं की गई अतः खाली पड़ी थी।
3	7299	3/2014	रसीद जारी नहीं की गई अतः खाली पड़ी थी।
4	7300	3/2014	रसीद Missing पाई गई थी।

उपरोक्त अनियमितताओं के चलते आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में नगर परिषद अपने स्तर पर पूर्ण छानबीन करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें व की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

35 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपतियों का निपटारा लेखा परीक्षा के दौरान ही कर दिया गया। अतः लघु आपति विवरणिका अगल से जारी नहीं की गई।

36 **निष्कर्ष :–** लेखाओं के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)v(105)/2012–खण्ड–IIए–4754–4755 दिनांकः03.09.2016 शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत

1) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

परिशिष्ट–"A"

सन्दर्भित पैरा संख्याः 1(ग)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/1999 से 3/2005

1	पैरा 1	अनिर्णीत	
2	पैरा 2	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 3(ड़)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(1)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5(घ)(1)	अनिर्णीत	
11	पैरा 5(घ)(2)	अनिर्णीत	
12	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 5(च)(1 से 5)	अनिर्णीत	
14	पैरा 5(छ)(1)	अनिर्णीत	
15	पैरा 5(छ)(3)	आंशिक निर्णीत	(क्रम संख्या 1, 2, 3 व 4 से देय क्रमशः 1000, 1000, 1000 व 500 की राशि जी–8 संख्या 5082, 5085, 5080 व 5089 द्वारा दिनाक 16.8.2007, 16.8.2007, 14.8.2007 व 27.8.2007 द्वारा वसूल कर ली गई। क्रम संख्या 5 व 6 के पक्ष में भी अपेक्षित कार्यवाही की जाए।
16	पैरा 5(छ)(4)	अनिर्णीत	
17	पैरा 5(छ)(5)	अनिर्णीत	
18	पैरा 5(ज)(1 से 5)	अनिर्णीत	
19	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	

21	पैरा 5(ट)	अनिर्णीत
22	पैरा 5(ठ)	अनिर्णीत
23	पैरा 5(ढ)	अनिर्णीत
24	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत
25	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
26	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
28	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
29	पैरा 6(ड़)	अनिर्णीत
30	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
31	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत
32	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
33	पैरा 6(झ)	अनिर्णीत
34	पैरा 6(ञ)	अनिर्णीत
35	पैरा 6(ट)	अनिर्णीत
36	पैरा 6(ठ)	अनिर्णीत
37	पैरा 6(ड)	अनिर्णीत
38	पैरा 6(ढ)	अनिर्णीत
39	पैरा 6(ण)	अनिर्णीत
40	पैरा 6(त)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(थ)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(द)	अनिर्णीत
43	पैरा 6(ध)	अनिर्णीत
44	पैरा 6(न)	अनिर्णीत
45	पैरा 6(प)	अनिर्णीत
46	पैरा 6(फ)	अनिर्णीत
47	पैरा 6(ब)	अनिर्णीत
48	पैरा 6(भ)(1 से 4)	अनिर्णीत
49	पैरा 6(म) (1 से 3)	अनिर्णीत
50	पैरा 6(य)	अनिर्णीत
51	पैरा 6(र)	अनिर्णीत

52	पैरा 6(ल)	अनिर्णीत
53	पैरा 6(व)	अनिर्णीत
54	पैरा 6(श)	अनिर्णीत
55	पैरा 6(ष)	अनिर्णीत
56	पैरा 6(स)	अनिर्णीत
57	पैरा 6(ह)	अनिर्णीत
58	पैरा 7(1 से 19)	अनिर्णीत
59	पैरा 7(क)(1 से 7)	अनिर्णीत
60	पैरा 7(ख)(1 से 7)	अनिर्णीत
61	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
62	पैरा 7(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत
63	पैरा 7(ड़)	अनिर्णीत
64	पैरा 7(च)(1 से 7)	अनिर्णीत
65	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत
66	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत
67	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत
68	पैरा 7(ञ)	अनिर्णीत
69	पैरा 7(ट)	अनिर्णीत
70	पैरा 7(ठ)	अनिर्णीत
71	पैरा 7(ड)	अनिर्णीत
72	पैरा 7(ढ)(1 से 5)	अनिर्णीत
73	पैरा 7(ण)	अनिर्णीत
74	पैरा 7(त)(1 से 3)	अनिर्णीत
75	पैरा 7(थ)(1 से 5)	अनिर्णीत
76	पैरा 7(द)	अनिर्णीत
77	पैरा 7(ध)	अनिर्णीत
78	पैरा 7(न)	अनिर्णीत
79	पैरा 7(प)	अनिर्णीत
80	पैरा 7(फ)	अनिर्णीत
81	पैरा 7(ब)	अनिर्णीत
82	पैरा 7(म)(1 से 4)	अनिर्णीत

83	पैरा 7(य)(1 से 3)	अनिर्णीत	
84	पैरा 7(र)(1 से 2)	अनिर्णीत	
85	पैरा 7(ल)	अनिर्णीत	
86	पैर 7(व)	अनिर्णीत	
87	पैरा 7(श)	अनिर्णीत	
88	पैरा 7(ष)	अनिर्णीत	
89	पैरा 7(स)(1 से 4)	अनिर्णीत	
90	पैरा 7(ह)	अनिर्णीत	
91	पैरा 7(क्ष)	अनिर्णीत	
92	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
93	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
94	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत	
95	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत	
96	पैरा 8(ड़)	अनिर्णीत	
97	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
98	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
99	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत	
100	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत	
101	पैरा 9(ड़)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1	पैरा 2(i)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
2	पैरा 2(ii)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
3	पैरा 3(1)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
4	पैरा 3(2)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
5	पैरा 3(2)(ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
6	पैरा 4(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(4)	निर्णीत	(ब्याज प्राप्ति की रोकड़ बही में प्रविष्टि कर दी गई है)
8	पैरा 4(5)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(6)(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
10	पैरा 6(ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)

11	पैरा 4(7)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(10)	निर्णीत	(अनुपालना से समीक्षा उपरान्त)
13	पैरा 4(11)	निर्णीत	(अनुपालना से समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा 4(12)(क)	निर्णीत	(अनुपालना से समीक्षा उपरान्त)
15	पैरा 4(14)	निर्णीत	(अनुपालना से समीक्षा उपरान्त)
16	पैरा 4(15)	निर्णीत	(अनुपालना से समीक्षा उपरान्त)
17	पैरा 4(16)	निर्णीत	(अनुपालना से समीक्षा उपरान्त)
18	पैरा 4(17)	अनिर्णीत	
19	पैरा 4(18)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(1)	निर्णीत सूचनार्थ	
21	पैरा 5(3)	अनिर्णीत	
22	पैरा 5(4)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5(5)	आंशिक रूप से निर्णीत	
24	पैरा 5(6)	अनिर्णीत	
25	पैरा 5(7)	अनिर्णीत	
26	पैरा 5(8)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
28	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(6)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(7)(क)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(7)(ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(8)	अनिर्णीत	
33	पैरा 6(9)	अनिर्णीत	
34	पैरा 6(10)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त आंशिक रूप से निर्णीत ₹80 जमा कर दिए गए परन्तु रोकड़ बही में ड्राफ्ट संख्या का लेन–देन नहीं दर्शाया गया)
35	पैरा 6(11)	अनिर्णीत	
36	पैरा 6(12)	अनिर्णीत	
37	पैरा 6(13)	अनिर्णीत	
38	पैरा 6(14)	अनिर्णीत	

39	पैरा 6(15)	अनिर्णीत	
40	पैरा 6(16)	अनिर्णीत	
41	पैरा 6(21)	अनिर्णीत	
42	पैरा 6(22)	अनिर्णीत	
43	पैरा 6(23)	अनिर्णीत	
44	पैरा 6(25)	अनिर्णीत	
45	पैरा 6(26)	अनिर्णीत	
46	पैरा 6(27)	अनिर्णीत	
47	पैरा 6(28)	अनिर्णीत	
48	पैरा 6(29)(क)	अनिर्णीत	
49	पैरा 6(29)(ख)	अनिर्णीत	
50	पैरा 6(30)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
51	पैरा 6(31)	अनिर्णीत	
52	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
53	पैरा 7(2)(क)	अनिर्णीत	
54	पैरा 7(2)(ख)	अनिर्णीत	
55	पैरास 7(3)	अनिर्णीत	
56	पैरा 7(3)(क)	अनिर्णीत	
57	पैरा 7(3)(ख)	अनिर्णीत	
58	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
59	पैरा (5)(क)	अनिर्णीत	
60	पैरा 7(5)(ख)	अनिर्णीत	
61	पैरा 7(6)(क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
62	पैरा 7(6)(ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
63	पैरा 7(6)(ग)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
64	पैरा 7(6)(घ)	अनिर्णीत	
65	पैरा 7(6)(ड़)	अनिर्णीत	
66	पैरा 7(7)(क)	अनिर्णीत	
67	पैरा 7(7)(ख)	अनिर्णीत	
68	पैरा 7(7)(ग)	अनिर्णीत	
69	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	

70	पैरा 7(9)	अनिर्णीत	
71	पैरा 7(10)(क)	अनिर्णीत	
72	पैरा 7(10)(ख)	अनिर्णीत	
73	पैरा 7(10)(घ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
74	पैरा 7(10)(ड़)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
75	पैरा 7(10)(च)	अनिर्णीत	
76	पैरा 7(10)(ज)	अनिर्णीत	
77	पैरा 7(12)(क)	अनिर्णीत	
78	पैरा 7(12)(ख)	अनिर्णीत	
79	पैरा 7(12)(ग)	अनिर्णीत	
80	पैरा 7(12)(घ)	अनिर्णीत	
81	पैरा 7(13)(क)	अनिर्णीत	
82	पैरा 7(13)(ख)	अनिर्णीत	
83	पैरा 7(13)(ग)	अनिर्णीत	
84	पैरा 7(14)	अनिर्णीत	
85	पैरा 7(15)	अनिर्णीत	
86	पैरा 7(16)	अनिर्णीत	
87	पैरा 7(17)	अनिर्णीत	
88	पैरा 7(18)	निर्णीत	(288 कि0ग्रा0 रेलिंग एम0बी0 21 के पृष्ठ 59 पर जारी दर्शाई गई थी)
89	पैरा 7(20)	अनिर्णीत	
90	पैरा 7(21)	अनिर्णीत	
91	पैरा 7(22)	अनिर्णीत	
92	पैरा 7(25)	अनिर्णीत	
93	पैरा 8	निर्णीत	सूचनार्थ
94	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
95	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
96	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत	
97	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत	
98	पैरा 10	निर्णीत	सूचनार्थ

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2012

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा कर दिया गया है)
2	पैरा 4(क)	निर्णीत	सूचनार्थ
3	पैरा 4(ख)	निर्णीत	(कम जमा राशियों को आगामी वर्षों में जमा कर दिया गया है)
4	पैरा 4(ग)	निर्णीत	सूचनार्थ
5	पैरा 4(घ)(1)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
6	पैरा 4(घ)(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(ड़)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
8	पैरा 5(क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
9	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5(ग)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
11	पैरा 5(घ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
12	पैरा 5(ड़)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
13	पैरा 5(च)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत	
15	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
16	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 5(ण)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
18	पैरा 5(ट)(i)	आंशिक निर्णीत	(₹31577 अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/15 के दौरान जमा कर दिए गए हैं। दण्ड ब्याज की वसूली शेष है)
19	पैरा 5(ट)(ii)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
20	पैरा 5(ट)(iii)	अनिर्णीत	
21	पैरा 5(ट)(iv)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
22	पैरा 5(ठ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
23	पैरा 6(i)	निर्णीत	सूचनार्थ
24	पैरा 6(ii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
25	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
27	पैरा 7(ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
28	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	

29	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
30	पैरा 9	अनिर्णीत	
31	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
32	पैरा 11	अनिर्णीत	
33	पैरा 12	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
34	पैरा 13	अनिर्णीत	
35	पैरा 14	निर्णीत	(₹334423 किराए की वसूली रैंट रजिस्टर के अनुसार कर दी गई है)
36	पैरा 15	अनिर्णीत	
37	पैरा 16	अनिर्णीत	
38	पैरा 17	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
39	पैरा 18	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
40	पैरा 19	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
41	पैरा 20	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
42	पैरा 21	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
43	पैरा 22	अनिर्णीत	
44	पैरा 23	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
45	पैरा 24	अनिर्णीत	
46	पैरा 25	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
47	पैरा 26	अनिर्णीत	
48	पैरा 27	अनिर्णीत	
49	पैरा 28	अनिर्णीत	
50	पैरा 29	अनिर्णीत	
51	पैरा 30	अनिर्णीत	
52	पैरा 31	अनिर्णीत	
53	पैरा 32	अनिर्णीत	
54	पैरा 33	अनिर्णीत	
55	पैरा 34	अनिर्णीत	
56	पैरा 35	अनिर्णीत	
57	पैरा 36	निर्णीत	(प्रतिभूति राशि 43842 मापन पुस्तिका संख्या 23 पृष्ठ 37 पर प्राप्त की गई है)

58	पैरा 37	अनिर्णीत	
59	पैरा 38(1 से 7)	अनिर्णीत	
60	पैरा 38(8)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
61	पैरा 38(9, 10)	अनिर्णीत	
62	पैरा 38(11)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
63	पैरा 38(12)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
64	पैरा 38(13)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
65	पैरा 38(14)(क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
66	पैरा 38(14)(ख)	अनिर्णीत	
67	पैरा 38(14)(ग)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
68	पैरा 38(14)(घ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
69	पैरा 38(14)(ड़)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
70	पैरा 38(14)(च)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
71	पैरा 38(14)(छ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
72	पैरा 38(14)(ज)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
73	पैरा 38(14)(झ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
74	पैरा 38(15)	अनिर्णीत	
75	पैरा 38(16)(क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
76	पैरा 38(16)(ख)	अनिर्णीत	
77	पैरा 38(16)(ग)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
78	पैरा 38(16)(घ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
79	पैरा 38(16)(ड़)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
80	पैरा 38(16)(च)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
81	पैरा 38(16)(छ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
82	पैरा 38(17)(क)	अनिर्णीत	
83	पैरा 38(17)(ख)	अनिर्णीत	
84	पैरा 38(17)(ग)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
85	पैरा 38(17)(घ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
86	पैरा 38(17)(ड़)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
87	पैरा 38(17)(च)	अनिर्णीत	
88	पैरा 38(17)(छ)	अनिर्णीत	

89	पैरा 38(18)(क)	अनिर्णीत	
90	पैरा 38(19)	अनिर्णीत	
91	पैरा 38(20)	अनिर्णीत	
92	पैरा 38(21)	अनिर्णीत	
93	पैरा 38(22)	अनिर्णीत	
94	पैरा 38(23)	अनिर्णीत	
95	पैरा 39(क)	अनिर्णीत	
96	पैरा 39(ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
97	पैरा 39(ग)	अनिर्णीत	
98	पैरा 39(घ)(क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
99	पैरा 39(घ)(ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
100	पैरा 39(घ)(ग)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
101	पैरा 40	निर्णीत	(₹16418 की वसूली रसीद संख्या 7059 दिनांक 18.2.2016 द्वारा कर दी गई है)
102	पैरा 41(क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
103	पैरा 41(ख)	अनिर्णीत	
104	पैरा 42(क)	अनिर्णीत	
105	पैरा 42(ख)	अनिर्णीत	
106	पैरा 42(ग)	अनिर्णीत	
107	पैरा 42(घ)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
108	पैरा 42(ड़)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
109	पैरा 42(च)	अनिर्णीत	
110	पैरा 43	अनिर्णीत	
111	पैरा 44	अनिर्णीत	
112	पैरा 45	अनिर्णीत	
113	पैरा 46	अनिर्णीत	
114	पैरा 47	अनिर्णीत	
115	पैरा 48	अनिर्णीत	
116	पैरा 49	अनिर्णीत	
117	पैरा 50	अनिर्णीत	
118	पैरा 51(क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
119	पैरा 51(ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)